



कार्यालय प्राचार्य, अरुण प्रताप सिंह देव शासकीय महाविद्यालय शंकरगढ़

जिला - बलरामपुर - रामानुजगंज (छ0ग0)

यूजीसी से, मान्यता, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा, अम्बिकापुर से संबद्ध

NAAC Accredited Grade "B"

COLLEGE CODE - 3607

AISHE C-49747

Web:- [www.govtcollegeshankargarh.ac.in](http://www.govtcollegeshankargarh.ac.in)

Email:- [shankargarhcollege@gmail.com](mailto:shankargarhcollege@gmail.com), [shankargarhcollege@rediffmail.com](mailto:shankargarhcollege@rediffmail.com)

क्र./०५ / अतिथि व्या / 2023

शंकरगढ़, दिनांक-12/07/2023

### :-अतिथि व्याख्याता हेतु विज्ञापन:-

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक-504/126/आउशि/राज.स्था./2023 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक-10.07.2023 के परिपालन में शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु महाविद्यालय में अध्यापन व्यवस्था के लिए सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध नीचे लिखे विवरण अनुसार अतिथि व्याख्याता हेतु दिनांक-20.07.2023 सायं 04:00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/कोरियर/स्वयं द्वारा जमा कर सकते हैं। ईमेल से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

अतिथि व्याख्याता हेतु निम्नांकित विषय में आवेदन आमंत्रित है

क्र.	विषय	पदनाम	पद सख्या
1	अर्थशास्त्र	सहायक प्राध्यापक	01
	योग-		01

शर्त:-

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली व उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन रायपुर द्वारा निर्धारित योग्यताएँ मान्य होगी एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार मैरिट सूची के आधार पर चयन किया जावेगा।
- प्रति व्याख्यान रूपये 300/- (तीन सौ रूपये मात्र) जो प्रतिदिन अधिकतम रु. 1200/- तथा प्रतिमाह रु.30200/- (तीस हजार दो सौ रूपये मात्र) की सीलिंग के आधीन होगा।
- अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएं भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे।
- अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अतर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
- चयनित उम्मीदवार के विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण लंबित न हो तथा वह किसी अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय / अशासकीय सेवा में न हो इस बाबत शपत् पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा। अतिथि व्याख्याता एकसाथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नहीं कर सकेगा।
- नियमित नियुक्ति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण तथा शासन की अन्य व्यवस्था के तहत प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक की पदस्थापना होने पर अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी।
- आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, जाति/निवास एवं अन्य प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।



प्राचार्य  
अरुण प्रताप सिंह देव

अरुण प्रताप सिंह देव शासकीय महाविद्यालय  
जिला-बलरामपुर-रा.गंज(छ.ग.)  
शंकरगढ़, जिला-बलरामपुर-रा.गंज(छ.ग.)

पृ.क्र./०५ /स्था./2023

शंकरगढ़ दिनांक 12/०7/2023

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक क्षेत्रीय कार्यालय सरगुजा संभाग, शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य लरंगसाय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय रामानुजगंज जिला-बलरामपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।



प्राचार्य  
अरुण प्रताप सिंह देव

अरुण प्रताप सिंह देव महाविद्यालय शंकरगढ़, जिला-बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.)  
शंकरगढ़, जिला-बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.)